

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 07.02.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टीयो के गिरफ्तारी के अभियान में रविवार जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राज नरायन सिंह नि० वीरापुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-46/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कन्हैया लाल पुत्र लालमनि नि० भरोसी राजापुर परसौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-19/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ननकू उर्फ रामनाथ पुत्र दीना नाथ नि० बराहेमा दर्जी पुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-38/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मोहित सोनकर पुत्र रतीराम नि० जैदवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-45/21, 02. मिठाई लाल सोनकर पुत्र नकानू सोनकर नि० जैदवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-46/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. परशुराम पुत्र राम लाल नि० कद्दू दास पुरवा मौजा बसंतपुर राजा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-36/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नन्द लाल गोस्वामी पुत्र जवाहर लाल नि० सिकिहा कुँवरपुर अमरहा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-55/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

आर्म्स एक्ट मे की गयी कार्यवाही-

01. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त रंजीत सोनकर पुत्र अनन्तराम सोनकर नि० सिसई जंगल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को 01 अद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर में मु०अ०सं०-39/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना मनकापुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त गड्डू उर्फ गुडनियल मशीह पुत्र डेविड मशीह नि० फजल मशीह पुरवा नि० एलनपुर ग्रण्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को 01 अद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मनकापुर में मु०अ०सं०-31/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 07.02.2021

खच्चर चोर गिरफ्तार, 02 अदद खच्चर व 01 अदद पिकअप बरामद-

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. आफताब अहमद उर्फ बबलू पुत्र मुस्ताक अहमद नि० ग्राम धुसवा मौजा खपरी पारा थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. प्रदीप कुमार उर्फ सूरज पुत्र सालिकराम नि० ग्राम धुसवा मौजा खपरी पारा थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. राजन उर्फ छेदी पुत्र सुखराम नि० ग्राम धुसवा मौजा खपरी पारा थाना छपिया जनपद गोण्डा।
04. लाल मोहम्मद उर्फ फकीरे पुत्र ऐश मोहम्मद नि० ग्राम भडरिया थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
05. झिनकन पुत्र मुन्नीलाल नि० ग्राम धुसवा मौजा खपरी पारा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु०अ०सं०-56/21, धारा 379 भादवि थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 02 अदद खच्चर।

02. 01 अदद पिकअप।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.02.2021 को वादी मुश्ताक पुत्र मोहल्ला इमामबाड़ा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के खच्चर अज्ञात चोरो द्वारा ईट भट्टा विश्वनागा से चुरा ले गये थे। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को० देहात में अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 06/07.02.2021 की रात्रि थाना को० देहात के उ०नि० मानेन्द्र सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्तों को फैजाबाद रोड विशनागा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पिकअप पर लदे 02 राशि खच्चर बरामद किये गये। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि इन खच्चरों को 5 दिन पूर्व विशनागा के पास स्थित भट्टे से उन लोगो ने चुराया था। अभियुक्तों को थाना को० देहात में पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायाय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि० मानेन्द्र सिंह।
02. उ०नि० जितेन्द्र कुमार वर्मा।
03. हे०का० रामप्रसेन सिंह।
04. हे०का० बालेन्द्र प्रताप सिंह।
05. हे०का० राजकिशोर।
06. का० राघवेन्द्र सिंह।
07. का० का० रंजीत कुमार।

03 जोड़े एक साथ रहने को राजी हुए-

गोण्डा। रविवार, जनपद गोण्डा के पुलिस कार्यालय मे आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र मे पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय के निर्देशन मे परामर्शदाताओ ने 03 बिछुड़े जोड़े को समझाबुझाकर सुखी जीवन जीने हेतू राजी कर लिया।

इन जोड़ो मे 01. कविता पत्नी रोशन लाल, 02. प्रमिला गौतम पत्नी रामकुमार, 03. श्रीमती नीता देवी पत्नी संदीप कुमार एक साथ सुखी जीवन जीने हेतु राजी हो गये।

परामर्श केन्द्र मे उपस्थित सदस्यगण-

अपर पुलिस अधीक्षक श्री शिवराज सिंह, प्रभारी महिला थाना पूनम यादव, राजमंगल मौर्या, डा० उमा सिंह, विनय कुमार मिश्र, महेश गुप्ता, संतोष ओझा, यशोदा नन्दन त्रिपाठी, राधारानी मिश्र, स्वाती पाण्डेय, म०का० रोशन आरा, म०का० पूजा यादव, म०का० शाहिना बानो।